बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी।

Email I. D.-wkcdkeoti@gmail.com

पत्रांकः- 30 / केवटी, दिनांक- 04.01.2024

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0:– 05 / 2023–24

1 विज्ञापनदाता का नामः– कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी।

2 निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथिः– दिनांक 12.01.2024 से 15.01.2024 (कार्यालय अवधि में अवकाश अवधि को छोड़ कर) तक ।

3 निविदा प्राप्ति की तिथि एंव समय :– दिनांक 16.01.2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक।

4 निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समयः– दिनांक 16.01.2024 को अपराह्न 3.30 बजे।

5 निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :–
01. कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, दरभंगा ।
02. अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा।
03. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी।

6 निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थानः– क्रमांक 5 पर अंकित सभी कार्यालय।

7 वित्तीय बीड खुलने की तिथि एवं समयः– सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार स्थान, तिथि एवं समय की सूचना बाद में दी जायेगी।

8. कार्य की विवरणी :–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र (निविदा प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्रफ्ट के रूप में) (रू0 में)	कार्यावधि
1	आवास संख्या F_{11}एवं F_{12} का आवश्यक मरम्मति एवं रंग रोगन कार्य।	3.12730	6300.00	750.00	05.03.2024 तक
2	निरीक्षण भवन केवटी के कमरा संख्या 01, बरामदा एवं रसोई घर का आवश्यक मरम्मति एवं रंग रोगन का कार्य।	1.53470	3100.00	500.00	05.03.2024 तक

04/01/24

कार्यपालक अभियंता
पष्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी।
Mobile No. 7463889749

04/01/2024 4/1/24

नियम एवं शर्त्तेः–

9. कार्य की प्राक्कलित राशि धट–बढ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि मान्य होगी।

10. निविदा के साथ अग्रधन की राशि 2 प्रतिशत की दर से तथा एकरारनामा के समय 3 प्रतिशत की दर से देना होगा। शेष 5 प्रतिशत की दर से विपत्र से जमानत की राशि की कटौती की जायेगी।

11 परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत बैंक ड्रफ्ट कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी के नाम निर्गत किया गया हो। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जाएगा।

12. .पथ निर्माण विभाग, पटना के अधिसूचना सं0 13589 (5), पटना दिनांक 13.12.2011 की कंडिका (4) के उप कंडिका (घ) में निहित प्रावधान के अनुसार रूपया 25.00 (पच्चीस) लाख तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी–4 (चार) में निबंधित संवेदक जो दरभंगा जिला में निबंधित हो वही भाग ले सकेंगे।

13. अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/ अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/ पॉच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/ राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी के नाम विधिवत् प्रतिज्ञित हो, निविदा के साथ देना होगा। प्रतिज्ञितकरण की तिथि निविदा प्रकाशन के बाद होनी चाहिए। किसी भी रूप में अग्रधन की राशि नगद नहीं ली जाएगी।

14. अस्पष्ट एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

15. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में जी0एस0टी0, आयकर, एक प्रतिशत उपकर की कटौती भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु, स्वामित्व, मालिकाना एवं अन्य अनुमान्य करों की कटौती की जाएगी।

16. कार्य का एकरारनामा पी0डव्लू0डी0 फार्म एफ 2 (कंडिका 23 विलोपित) पर किया जायेगा।

17. कार्य आवंटन के पश्चात परिचय पत्र, पैन नं0 एवं अधतन आयकर रिटर्न, जी0एस0टी0 निबंधन की छाया प्रति अभिप्रमाणित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

18. कार्य आवंटन/एकरारनामा के समय अधतन लेवर लाइसेंस देना अनिवार्य होगा।

19. संवेदक को सभी कार्य निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्त्तो, स्वीकृत प्राक्कलन तथा विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप करना होगा। साथ ही जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निविदा संबंधित सभी अनुदेशो एवं शर्त्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य में भुगतान के पूर्व गुणनियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

20. विभाग द्वारा जो सामग्री दी जाएगी उसकी कटौती/वसूली विभागीय नियमानुसार विपत्र से की जाएगी।

21. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदाकारो को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा जिनके विरूद्ध विभाग से कालीकरण की कार्रवाई चल रही है या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस प्रमंडल में पूर्व में किए गए कार्य संतोषप्रद नहीं है अथवा समय पर पूर्ण नहीं किया गया है।

22. निविदा को बिना कारण बताये स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

23. निविदा की पूर्ण शर्ते एवं विशिष्टियॉ आदि परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा।

24. निविदा दो मुहरबन्द लिफाफे में क्रमांक 01 एवं क्रमांक 02 जिसमें क्रमशः टेक्नीकल बीड तथा फाइनेंशियल बीड रहेगा, को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 05 में उल्लिखित सभी कार्यालयों में मात्र टेक्नीकल बीड वाले लिफाफा को ही खोला जाएगा। टेक्नीकल बीड करने वाले निविदाकारों के दूसरे लिफाफा जिसमें फाइनेंशियल बीड रहेगा को बाद में टेक्नीकल

बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार टेक्नीकल बीड में असफल होंगे उनका फाइनेंशियल बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।

25. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या/मोबाईल नं0/ई–मेल पता यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।

26. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा। (निविदित कार्य मुख्य शीर्ष–2700 गैर योजना मद का है। अतः इसके परिमाण विपत्र से अधिक दर मान्य नहीं होगा।)

27. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदत दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

28. निविदादाता के टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य हैः–

(क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।

(ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि, बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य मूल स्वरूप में।

(ग) आरक्षी अधीक्षक से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण–पत्र।

(घ) निम्न आशय का शपथ–पत्र **(Affidavit)** निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है–

01. 'I The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting.

टेक्नीकल बीड में सफलता का निर्धारण उपरोक्त चारो कागजातों के आधार पर ही होगा।

29 बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447(S) सह पठित ज्ञापांक 448(S) पटना दिनांक 16.01.2020 द्वारा सभी प्रकार के निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, अनुसूचित दर से 10 (दस) प्रतिशित कम दर समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्दृत करने वाले निविदा के लिए अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति **(Additional Performance Guarntee)** लेने के प्रावधान को पत्रांक 449(S) पटना, दिनांक 16.01.2020 द्वारा लागु किया गया है। तदनुसार संवेदक को उक्त राशि सरकार द्वारा मान्य प्रतिभूति के रूप में एकरारनामा के समय जमा करना होगा।)

30 निविदा डालने के पूर्व निविदादाता कार्य स्थल से अवगत हो लेगें। कार्य से संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

31 विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में अथवा मोबाईल सं0 7463889749 से संपर्क किया जा सकता है।

इसे विस्तृत रूप में **https://wrd.fmiscwrdbihar.gov.in** बेबसाईट पर देखा जा सकता है।

04/01/24

कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी।

04/01/2024

4/1/24